16/09/2020

जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी।

संख्या–35 / जि0निर्वा0कार्या0 / निविदा / 2020

दिनांक: 15 सितम्बर, 2020

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण में बी0एल0ओ0 के प्रयोगार्थ बी0एल0ओ0 किट क्रय किये जाने हेतु दिनांक–21–9–2020 को अपरान्ह 2:00 बजे तक अच्छुक अनुभवी फर्मों / ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0), लखीमपुर–खीरी के कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा खोलते समय निविदा दाता स्वयं या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदा फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाताओं को अर्नेस्ट मनी की धनराशि निविदा फार्म के साथ बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 अथवा बचत पत्र के रूप में प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी के पक्ष में बन्धक के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) में निहित होगा।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा मूल्य	अर्नेस्ट मनी	जमानत धनराशि
1	2	3	4	5
बी0एल0ओ0 किट (संलग्न सूची के अनुसार)	2,50,000	300/–	5000.00	15,000.00

उपरोक्तानुसार कालम–2 में दी गई लागत अनुमानित है, जो कार्य के अनुसार घट–बढ़ सकती है। इच्छुक फर्म स्वामियों द्वारा निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी में दिनांक 21–9–2020 के अपरान्ह 1:00 बजे के पूर्व किसी भी कार्यालय दिवस में देखी व प्राप्त की जा सकती है, जो उक्तानुसार मूल्य पर देय हैं। निविदाएं निर्धारित तिथि व समय में जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी में रखे टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेंगी।

प्रभारी अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- सहायक सूचना निदेशक, खीरी को इस आशय से, प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निविदा का प्रकाशन दिनांक–15–9–2020 को प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला", "दैनिक जागरण" एवं "हिन्दुस्तान" में कराने का कष्ट करें तथा इसका बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी में उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, खीरी को इस आशय से कि कृपया इस निविदा को NIC की वेबसाइट पर जन सामान्य हेतु अपलोड़ करने का कष्ट करें।

3- नाजिर, कलेक्ट्रेट / विकास भवन / जिला पंचायत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4- जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), खीरी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

प्रभारी अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
लखीमपुर–खीरी।

Tender_2020_BLO KIT

निविदा संख्या– 35 / त्रि0पं0स्था0निर्वा0 / निविदा / 2020 दिनांक– 15–9–2020 द्वारा "बी0एल0ओ0 किट आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गयी निविदा की नियम एवं शर्तें:–

1. निविदा फार्म के साथ अर्नेस्ट मनी रू0–5000.00(रूपये पांच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 / राष्टीय बचत पत्र के रूप में प्रभारी अधिकारी,जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय)लखीमपुर–खीरी के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. सफल निविदादाता को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि), द्वारा दरें स्वीकृत होने के उपरान्त जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एंव नगरीय निकाय) द्वारा लिखित रूप में सूचित किये जाने पर रू0 15,000/– की जमानत धनराशि को बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 / राष्टीय बचत पत्र के रूप में जमा करना होगा, जो प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखीमपुर–खीरी के पक्ष में देय हो तथा रू0 100/– स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
3. निविदा के शीलबन्द(लाख / ब्राउन टेप) लिफाफे पर **"बी0एल0ओ किट आपूर्ति हेतु निविदा"** अंकित किया जाना होगा तथा निविदा सूचना संख्या, दिनांक एवं निविदा खुलने की तिथि अंकित की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 21–9–2020 अपरान्ह 4:00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0), खीरी के कक्ष में खोला जायेगा।
4. आयोग से बजट प्राप्त होने पर ही फर्म के बिलों पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
5. सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की आपूर्ति न कर पाने की दशा में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि) को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री अन्य फर्म से कय कर लें और ऐसी स्थिति में सामग्री कय में जो भी अधिक धन व्यय हो, व फर्म के देयकों अथवा जमानत राशि में समायोजित कर लें।
6. संलग्नक सूची में उल्लिखित सामग्री की दरें समस्त करों सहित अंकित की जायें अलग से कोई कर मान्य नहीं होगा।
7. सामग्री को कार्यालय तक लाने व निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर उसे वापस ले जाने का व्यय आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
8. निविदादाता फर्म का रजिस्ट्रेशन, वाणिज्य कर / आयकर / सेवाकर कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं निर्वाचन कार्य करने वाली अनुभवी फर्मो को वरीयता प्रदान की जायेगी। निर्वाचन में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की फर्म की मोहर व मालिक / साझीदार के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
10. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने अथवा तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।
11. निविदादाता प्रत्येक वस्तु की केवल वांछित ब्राण्ड के अनुसार दर देगा तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माता / ब्राण्ड के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा में दी गई दरें उल्लिखित ब्राण्डों की सर्वोत्म गुणवत्ता वाली वस्तुओं की होनी चाहिए।
12. कार्यालय द्वारा केवल निविदा में दर्शाये गये बाण्डों के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति स्वीकार की जायेगी। सामग्री का शीलबन्द नमूना (प्रत्येक नमूने पर निविदादाता के फर्म की सील सहित हस्ताक्षर करना आवश्यक है) निविदा के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नमूना प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जयेगा।
13. अनुबन्धित कार्य निष्पादन या उससे सम्बन्धित किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर Arbitration and Conciliation act 1966 के प्राविधान के अनुसार विवाद का निस्तारण नहीं किया जायेगा बल्कि Aggreived पक्ष सीधे न्यायाधिकरण क्षेत्र में विवाद निस्तारित कराना होगा।

प्रभारी अधिकारी
जिला निर्वाचन कार्यालय
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
लखीमपुर–खीरी।